

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ 4 () परावि/प्रशा.2/स्था. है.मि./2016/ 2436

जयपुर, दिनांक

30/5/18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद-बांसवाड़ा।

विषय:- हैण्डपंप मिस्त्री के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ पंचायत समिति में कार्यरत निम्न हैण्डपंप मिस्त्री का संस्थापन संबंधी सूचनाओं से मिलान कर आज ही स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी कर, पालना से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. स.	कार्मिक का नाम (सर्व श्री)	पद	कहाँ से	कहाँ को
1	2	3	4	5
1.	लक्ष्मण लाल डिन्डोर	हैण्डपंप मिस्त्री	पं.स. छोटी सरवन (बांसवाड़ा)	पं.स. घाटोल (बांसवाड़ा)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

नोट:-

1. कार्मिक स्वीकृत पदों से अधिक अधिशेष नहीं हो, इसका पूर्ण ध्यान रखा जावे।
2. कार्मिक के द्वारा माननीय न्यायालय/अधिकरण से स्थानान्तरण पर स्थगन प्राप्त किया हुआ है तो उसका स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. कार्मिक के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश की पालना हेतु रिक्त पद नहीं होने पर पास्परिक अथवा अधिकतम अवधि से पदस्थापित कर्मचारी को निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित करने के आदेश जारी करें।

80
(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि ✓ एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत।

Yom
(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त